बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ, (बेली रोड) पटना–800001

आवश्यक सूचना

शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के अन्तर्गत उत्क्रमित/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक–01.03.2024 को प्रकाशित विज्ञापन सं॰–26/2024 की कंडिका–3(v) में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अनुभव के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक–682, दिनांक–05.03.2024 द्वारा आवश्यक प्रावधान में स्पष्टीकरण निम्नवत् है:–

1. पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11–12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 04 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय के अवधि को भी जोड़ा जा सकेगा।
2. पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 9–10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय के अवधि को भी जोड़ा जा सकेगा।
3. पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 11–12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा की गणना में स्थानीय निकाय के अवधि को भी जोड़ा जा सकेगा।
4. CBSE/ICSC/BSEB द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो एवं बाद में पंचायतीराज/नगर काय संस्था/बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के माध्यमिक (9–10)/उच्च माध्यमिक (11–12) शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 वर्ष की अवधि मान्य होगी।
5. CBSE/ICSC/BSEB द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो एवं बाद में पंचायतीराज/नगर काय संस्था/बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के उच्च माध्यमिक (11–12) शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि मान्य होगी।

दिनांक–01.03.2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या–26/2024 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5/3/2024

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।